सलुम्बर

24/02/2020

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उप.।
प्रार्थी की एक लड़का हाजिर सुनी गयी। स्वयं प्रार्थी
कि शामलाती कृषि भूमि एवं विपक्षीगण की शामलाती
भूमि प्रार्थना-पत्र की क्रम संख्या -03 में वर्णित कृषि भूमि शामलाती
है। जो अविभाजित है की विपक्षीगण को हिदायत दी जाती
है की जब तक मूल वाद द्वारा सिविल कानून राजस्व
मण्डल के नियमानुसार माप व सीमाओं तरह पाती बटवारा
अन्तिम डिक्री की पालना होवे तक विपक्षीगण प्रार्थीगण
के हिस्से तक किसी प्रकार की दखलदाजी, विक्रय, न करे
स्वयं मौके पर राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके की यथास्थिति
बनाये रखे इस प्रकार से यह अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद
के निस्तारण तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसला
शुमार होकर -दफ्तर में जमा हो। पत्रावली मूलवाद के साथ हो।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mani Lal Tirgar
Date: 2020.08.31 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सलुम्बर,
जिला-उदयपुर